

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 253] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27, 1975/पौष 6, 1897

№ ०. 253] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27, 1975/PAUSA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th December 1975

SUBJECT.—*Licensing conditions for imports from U.K. under UK/India Mixed Project Grant, 1975.*

No. 132-ITC(PN)/75.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under UK/India Mixed Project Grant, 1975, as given in the Appendix to this Public Notice, are notified for information.

APPENDIX

LICENSING CONDITIONS FOR IMPORTS FROM THE U.K. UNDER UK/INDIA MIXED PROJECT GRANT, 1975.

I. General Conditions

1. *Super Scripton and Code.*—The import licence will bear the superscription "UK/India Mixed Project Grant 1975" In addition each import licence will also bear the Code "S/KK".

2. *Intimation of Import Licence Particulars.*—Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (Section Officer—WE/II Section) the details of the import licence viz. complete number and date; its value, and the superscription thereof together with a photostat copy of the import licence. A copy of the intimation

(1665)

alongwith a photostat copy of the import licence should also be endorsed to the Controller of Aid Accounts and Audit (CAA&A), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, New Delhi.

3. *Validity of the Import Licence.*—The import licence will be issued with an initial validity period of 24 (twenty-four) months. This period can be further extended if there is adequate justification to do so.

4. (a) *Remittances.*—No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. However, the U.K. Bank charges may be remitted through the normal banking channels.

(b) *Indian Agents' Commission.*—Any payment towards the Indian Agent's Commission should be made only in Indian Rupees to the Agents in India. Such payments will, however, form part of the licence value and will, therefore, be charged to the import licence.

5. (a) *Ordering period.*—Firm orders on CIF or C & F basis must be placed within a period of four (4) months from the date of issue of the import licence.

(b) If firm orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the Licensing Authority immediately during the fifth month giving the reasons for the delay in placing firm orders and indicating the date by which the firm orders would be placed and seeking extension in the period for ordering, as necessary. Such requests will be considered on merits by the Licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of two months. If however, extension is sought beyond six months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the Licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE II Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

NOTE.—The *Firm Orders* in this context mean, placement of orders on the UK Suppliers, and the latter's confirmation in writing therefor within the ordering period.

(c) It should be noted that unless ordering is completed within four months or the extended period allowed by the licensing authority, as the case may be, the Authorised Dealers in foreign exchange will not permit the establishment of Letter of Credit, or deposit of rupee equivalent. (See Section IV below).

6. *Payments.*—All payments must be completed within the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facility of any kind will be permitted.

II. Special Points to be incorporated in the Orders, Contracts or otherwise kept in view.

7. (a) *Origin of Goods.*—While placing orders/contracts which must be placed only on the suppliers in the U.K. (which expression in this connection includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly produced or manufactured in the United Kingdom, or in the case of Chemicals and Allied Products are declared to be of U.K. origin on the form attached as ANNEXURE II(B).

(b) *Works and Services.*—When the Contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured by a suitable provision therein that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K.

(c) (i) *Non-UK Content Criteria.*—Import licences under the UK/India Mixed Project Grant will normally be valid only for goods and/or materials procured and produced or manufactured in the United Kingdom.

(ii) The Indian Importer is advised in his own interest to ascertain from the UK suppliers beforehand whether the proposed imports contain any non-UK Element, and if so, the percentage thereof. Under no circumstances should he enter into a firm commitment or contract with a UK supplier without specifically ascertaining this point.

(iii) When on such an enquiry it is revealed that the goods proposed to be imported have some non-UK element, the matter must be brought to the notice

of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE II Section), New Delhi, for confirmation whether the importer should proceed with the finalisation of his order/contract with the prospective UK supplier. In exceptional cases a non-UK element upto a limit of 20 per cent of the FOB value of the contract may be accepted for financing under the UK/India Mixed Project Grant and may be allowed by the Government of India.

(d) *Provision for Contract Approval.*—A clause should specifically be included in the contract to the effect, that the contract is subject to and will become effective only on approval by the Government of India and the Government of the United Kingdom.

(e) *Documentation and Payment Procedure.*—The documentation requirements mentioned in Section III and V below and the Payment Procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

III. Contract Acceptance

8. (a) *Notification of Contracts and Amendments.*—Immediately on placement of orders on the UK supplier, the importer should furnish copies of the contract to the Administrative Ministry and the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(b) Within a fortnight of approval of contract by the Government of India in respect of each order placed on the foreign supplier, the licensee should forward four copies of the contract or notification of contract (in the form attached as ANNEXURE I) accompanied by five copies of the contract certificate (in the form attached as ANNEXURE II) or (ANNEXURE II(B)) (as is appropriate) duly signed by the U.K. supplier, to C.A.A. & A., UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

NOTE.—As no payments can be made unless the contract is duly approved by the U.K. Government, it is most imperative for the licensee to ensure that copies of contract/notification of contract along with supplier's contract certificates are forwarded to the Ministry of Finance (C.A.A. & A.) in the manner stated above at the earliest.

9 (a) *Contract Approval.*—While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the U. K. Grant are clearly noted in the documents.

(b) The CAA&A, Ministry of Finance, will arrange through the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London (CAO, London) to file a set of the documents with the U.K. Government for obtaining their approval and acceptance to the payments under the contract to be financed under the U.K. Grant. As soon as possible after the decision of the U.K. Government is known, the U.K. Suppliers as well as the licensee will be informed of the same direct by the CAO, London under advice to the Ministry of Finance.

10. *Amendment to Contract.*—If, at any time, a contract (being a contract in respect of which acceptance of the UK Government has been obtained or is pending) is amended, or if liability is to be incurred thereunder to a greater or lesser amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should obtain the approval of the Government of India and thereafter promptly forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to the contracts and revised Contract Certificate to C.A.A. & A., New Delhi in order to enable him to notify the same to the U.K. Government and to obtain their acceptance. As soon as the acceptance of the amendment to contract/order is received from the U.K. Government, the licensee and the Ministry of Finance will be notified by the CAO, London in the same manner as for the original contract.

11. *When a Contract is with Indian Agent.*—If the contract is with the Indian agent of the foreign suppliers, it should indicate the names of the U.K. suppliers to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract, which alone will qualify for payment under the U.K. Grant. Copies of such contracts (or of contracts placed by the Indian Agents with the UK Suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

IV. Payment to U.K. Suppliers—Letter of credit procedure

12. *Special Payment Procedure.*—The payment procedure normally applicable is laid down below. In special cases a different payment procedure may be laid

down by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi and in that case the import licence will be issued subject to such special procedure.

13. *Application for Letter of Authorisation.*—After receipt of intimation regarding contract acceptance from CAO, London (see Section III above), the licensee should apply to the C.A.A.&A., New Delhi, for a *Letter of Authorisation* to any of the Authorised Bank dealing in foreign exchange for opening a Letter of Credit in favour of the U.K. Suppliers with one of the Correspondent Banks in the U.K. The request for the letter of authorisation should be in the form given as ANNEXURE III and should be accompanied by a bank guarantee (in the form given in ANNEXURE IV) obtained from an authorised dealer in foreign exchange in India. The first request for Letter of Authorisation should be accompanied by a photostat copy of the import licence.

14. (a) *Bank Guarantee.*—The Bank Guarantee should be for an amount not less than the rupee equivalent of the value in sterling of the proposed letter of authority.

(b) The rate of exchange to be applied for the rupee equivalent, will be calculated at the Composite Rate of Exchange, as notified by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi through Public Notice from time to time and by the Reserve Bank of India through the Exchange Control Circulars issued from time to time to the Authorised Dealers in Foreign Exchange.

NOTE.—No Bank Guarantee is required from Public Sector Projects. In such cases the Letters of Credit will be opened through any Branch of the State Bank of India (including its subsidiaries) or any Branch of any of the Nationalised Banks).

15. *Letter of Authorisation.*—If the application is found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi, will issue an Authorisation for the requisite amount to the Indian Exchange Bank concerned, with a copy to the importer and Section Officer, WE II Section incorporating *inter-alia* the Contract Approval number of the U.K. Government. The Ministry of Finance will also advise the U.K. Bank concerned and the CAO, London suitably. The advice to the U.K. Bank will, however be sent to the Indian Exchange Bank concerned alongwith their copy of the Authorisation Letter, who should then transmit it to the U.K. Bank while opening the Letter of Credit.

16. (a) *Validity of Letter of Authorisation.*—The Letter of Authorisation will be valid for a period of one month from the date of its issue. Therefore, the Letter of Credit should be opened within a period of one month from the date of issue of the Authorisation, under intimation to the Ministry of Finance, failing which the Authorisation will lapse.

(b) *Letter of Credit.*—The letter of credit should detail the conditions to which the licence is subject; should provide for payment to the suppliers on the submission of all the documents detailed in Section V below; should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment and should be opened subject to the condition that the Correspondent Bank in the U.K. after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement therefor from the State Bank of India, London, through the CAO, London. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of Letter of Credit must accord completely with the Authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

(c) The Letter of Credit should be clearly marked with the UK Grant title and with the UK Government's Contract approval number.

(d) *Responsibility of Indian Exchange Bank.*—While opening letter of credit, the Authorised Exchange Bank in India should, on behalf of the importer also, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of Credit and ensure that the requirements of documentation detailed in para 17 (below) are noted and complied with by the UK supplier.

V. Documentations

17. *Documents.*—The importer is responsible to see that the UK supplier completes and submits the documents detailed below to the UK Bank at the time of claiming payment for the goods supplied:

(i) The original invoice, with four photo copies or copies by any other process. (The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed description of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery

(FOB, C&F, CIF and F&A) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.)

- (ii) One copy (or photostat) of ocean or charter Bill of Lading or airway Bill or parcel post receipt (The Bill of Lading should either indicate or be accompanied by the carrier's statement of charges in whatever currency it is paid).
- (iii) Four copies of the payment certificate in the form of ANNEXURE V (not required in respect of Contracts for which a contract certificate (Chemicals) in the form given as ANNEXURE II(B) has been provided). For this purpose, five blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment. Each document must show the Grant title, details of import licence and if possible, the particulars of the letter of Credit Authorisation issued by the Ministry of Finance.

18. *Despatch of Documents*.—After the payment is made to the UK Supplier, the correspondent Bank in the UK will send by fast air mail the original negotiable set of documents to the Indian Exchange Bank concerned.

19. *UK Bank Charge*.—The Indian Exchange Bank will remit the Bank charges to the UK Bank and recover the same from the importer.

20. *Reimbursement to UK Bank*.—The UK Bank will, simultaneously, claim the reimbursement of the amount(s) paid by it to the UK supplier, from CAO London and will submit for this purpose, invoices received from the supplier and payment certificate as in ANNEXURE V, where required. The CAO London will arrange payments to the UK Bank through the State Bank of India, London.

VI. Indian Bank's responsibility for Rupee Deposits

21. *Recovery from Importer*.—Within 7 (seven) days of the receipt of the advice of payment along with shipping documents from the UK Correspondent Bank, the Indian Exchange Bank concerned shall collect from the importer, the cost of imports in rupees at the "composite rate of exchange" (see para 14(b) above) plus interest charges at 8 per cent per annum for the period from the date of payment to the UK suppliers by the UK Bank to the date of deposit of the rupee equivalent into the Government account.

22. *Deposit of the Rupee Equivalent*.—The amount referred to above should be deposited by the Indian Exchange Bank to the credit of the Government of India in the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tiz Hazari Branch, Delhi or if this is not feasible, should be remitted by means of a *Demand Draft* drawn on and in favour of the State Bank of India, Tiz Hazari, Branch, Delhi. Rupee deposit should be made in the revised form of the Treasury Challan, published as annexure to Public Notice No. 74—ITC(PN)/74 dated 31-5-1974. Thereafter the Treasury challan evidencing the deposit should be sent by Registered Post to the C.A.A.&A., New Delhi indicating references to and enclosing copies of the invoice shipping documents and the Authorisation of that Department to which the transaction relates.

The Indian Exchange Bank concerned shall also arrange to deposit in the same manner such additional amounts on account of service charges as may be demanded by the Government of India, within 7 (seven) days after such demand.

The licensee should fill in, in duplicate, the Form 'S' incorporated as Annexure II to Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated 30th August, 1968 and present the same to their bank while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the said Public Notice.

23. *Head of Account for Rupee Deposit—Accounts Officer*.—The amounts including interest charges to be deposited to the Credit of Government of India shall be creditable under the following Head of Account:

"K—Deposits and Advances 843 Civil Deposits—Deposits for Purchases Abroad—Deposits under UK/India Mixed Project Grant 1975."

and the Accountant General, Central Revenues, New Delhi shall be shown as the Accounts Officer who will adjust these credits.

24. *Release of Bank Guarantee.*—After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Letter of Credit Authorisation issued by the Ministry of Finance are fulfilled, the Indian Exchange Bank concerned (not the importer) can apply to the CAA&A, New Delhi in the form laid down as ANNEXURE VI for the release of the Bank Guarantee.

VII. Report on the Utilisation of the Import Licence

25. *Reporting.*—A quarterly report, in the form attached as ANNEXURE VII showing the utilisation status of the licence should be furnished on the 15th of the month following the quarter to which it relates to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE II Section) New Delhi with a copy to the Controller of Aid Accounts and Audit (Department of Economic Affairs) UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII. Miscellaneous

26. *Refunds from UK Suppliers.*—If any money is received by the licensee from the UK suppliers or a Guarantor (insurance company etc.) as a refund or in settlement of insurance claim or otherwise, such amounts should be refunded by the supplier to the concerned correspondent bank in the U.K. (from which the payment was initially made to the U.K. supplier) with the instructions to refund the amount immediately, in turn, to CAO London for crediting the Grant Account. After the Grant account is so credited, an equivalent amount in rupees will be arranged to be refunded to the importer by the Ministry of Finance, upon receipt of a claim therefor from the importer. If any refund is received after the closure of the Grant the same will have to be made by the supplier direct to the importer.

27. *Reporting of Refunds.*—As and when any such refund is received, a report thereof should be made to the Ministry of Finance with a copy to the Ministry of Industrial Development, Foreign Exchange Section, Udyog Bhawan, New Delhi and CAA & A.

28. *Notification of special conditions provisions to supplier.*—The licensee should apprise the Supplier of any special provisions in the import licence which may effect the suppliers in carrying out of the transaction.

29. *Disputes.*—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

30. *Future Instructions.*—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Agreement.

31. *Breach or Violation.*—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the imports and Exports (Control) Act, 1947 and the orders issued thereunder.

IX. List of Annexures

1. Annexure I Notification of Contract.
2. Annexure II Contract Certificate.
3. Annexure II (B) Contract Certificate (Chemicals).
4. Annexure III Form of application for Letter of Credit Authorisation.
5. Annexure IV Form of Bank Guarantee.
6. Annexure V Payment Certificate.
7. Annexure VI Form of application for the release of Bank Guarantee.
8. Annexure VII Form for reporting Ordering and Utilisation of the Import licence.

ANNEXURE I

UNITED KINGDOM/INDIA MIXED PROJECT GRANT 1975

Notification of Contract

To: The Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, 4-Millbank, London SW 1.

PROJECT.....

Notification of Contract No.

The following are details of a contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above grant.

1. Name and address of United Kingdom Contractor;
2. Date of Contract;
3. Name of Indian Purchaser;
4. Short description of goods:
and/or works or services;
5. Value of Contract: £
6. Terms of Payments:

Signed on behalf of the
Government of India
Date.....

ANNEXURE II

UNITED KINGDOM/INDIA MIXED PROJECT GRANT 1975

Contract Certificate

Particulars of Contract

1. Date of Contract
2. Contract No.....

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....

(If a number of items are to be supplied a detailed list should be appended to this certificate)

4. Total contract price payable by purchaser (State CIF, C & F or FOB) £

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED

(If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer).

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 5. Description of goods to
be supplied to Purchaser
..... | Price

..... | UK Tariff/TRADE
CODE NO.

..... |
|---|--------------------|--|

6. Estimated per cent of the FOB value of the goods not originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad, i.e. per cent of imported raw material or components used in manufacture.

(a) per cent FOB value

(b) Description of items and brief specifications.....

7. If any raw material or components used originated from abroad, e.g. copper, asbestos, cotton, wood pulp etc. but have been purchased in the United Kingdom by the Contractor for this contract, specify:—

(a) per cent FOB value.....

(b) Description of items and brief specifications.....

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED.

8. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by

(a) Your firm (site engineers, charges, etc.)

(b) Local contractor.....

9. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 6, 7, or 8 above.....

10. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the Contractor other than those specified in paragraphs 6,7,8 and 9 above.

Signed.....
Position held.....
Name and Address.....
of Contractor.....
Date.....

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

Contractors should note that goods should not be manufactured until acceptance has been notified.

FOR OFFICIAL USE ONLY

Name or number of Project

PAYMENTS

PA

Date Amount No. Initials

Amount Date of — Acceptance
Committed Entry Date Initials

ANNEXURE II (B)

UNITED KINGDOM/INDIA MIXED PROJECT GRANT, 1975

Contract certificate for Chemicals and Allied Products only

1. Date of Contract.....Contract No.....Import Licence No.
Date.....

2. Description of Product(s) £ UK Tariff
to be supplied to Purchaser PRICE Classification No. Is the product
(Note A) (Note B) of UK Origin
(See Note C)
State 'Yes'
or 'No.'

3. Total (Estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling—£

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signed.....
Position held.....
Name and Address of
Contractor.....
Date.....

Date.....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products which are covered by the appropriate sub-headings of Chapter, 15, 25, 26—35, and 37—40 of the UK Tariff.

B. SEE:—

(i) HM Customs and Excise Tariff HMSO.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature HMSO

C. (i) A product is regarded as of 'UK' Origin if made either wholly from indigenous UK materials OR according to the appropriate EFTA qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the 'EFTA Compendium for the Use of Exporters', HMSO.

(iii) For the purpose of this declaration it is to be emphasised that the "alternative percentage criterion" DOES NOT APPLY.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "UK Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question, advice should be sought from the Crown Agents for Overseas Governments and Administrations, 4 Mill-bank, London SW1.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for Letter of Credit Authorisation

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Economic Aid Accounts Section,
Ministry of Finance, (Deptt. of Economic Affairs),
UCO Bank Building, Parliament Street,
New Delhi.

SUBJECT.—Import of ————— from U.K. under UK/India
Mixed Project Grant 1975.

Sir,

In connection with the import of ————— from UK against the above UK Grant we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you:—

(a) Particulars of Import Licence.

Full No. and Date

Value (Rs.)

Date upto which
valid.

(b) Sterling value of licence

(Calculated at the rate of exchange indicated in the import licence by the licensing authorities)

(c) Progressive Sterling value of the orders already placed for which L/As have been obtained (A statement of L/A Nos. and Sterling amount to be enclosed).

(d) Sterling value of the orders placed for which authorisation is required specifying the name and address of the UK supplier/suppliers and the amount(s) of authorisation required separately against each supplier (copy of orders placed and UK suppliers' acceptance thereof to be attached).

(e) Name of UK Correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

(f) Name of the Indian Bank which has furnished the Bank Guarantee and which will open the Letter of Credit.

The Bank Guarantee furnished by _____ and which has been duly
(Name of Bank)

adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of section 31 of the Stamp Act, 1899, is attached.

Yours faithfully,
(Signature of Licensee and
full address)

ANNEXURE IV

Form of Bank Guarantee

To

The President of India,
Through Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs,
New Delhi.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government' having agreed to arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by

- *(i) _____ individual/partners
- (ii) _____ working under the name
- (iii) _____ and style of M/s. _____
name(s) & Address(s).

"Messrs _____ a company having its registered office at _____, in the State of _____ hereinafter referred to as 'the Importers' under Import Licence No. _____ dated _____ granted for _____ Rupees, We, _____ hereby guarantee that we shall arrange deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or by means of Demand Draft Drawn on and in favour of State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi (for Credit to the Central Government Account) to be forwarded to the said Tis Hazari Branch—

- (i) Within seven days of the receipt of advice of payment with shipping documents, from the UK Banks, of rupee equivalent of the invoiced price representing the sterling disbursements made by the UK Banks, under the letter of credit authorisation issued by Ministry of Finance, at the composite rate of exchange prescribed for this purpose by the C.C.I. & E., which *vide* Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 read with Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated 21st July, 1972 at present is £ 1 = Rs. 19.06 until further notified through Public Notice, or by the Reserve Bank of India through Exchange Control Circulars to the Authorised Dealers in foreign exchange, along with interest thereon at six per cent per annum from the date of payment to UK suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and UK bank charges (both dates inclusive).
- (ii) Within seven days of the demand by the Government of such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We _____, undertake to pay to the Government on demand and without demur such sum not exceeding _____ rupees (plus interest and service charges as aforesaid) as may be demanded by the Government in the event of the Importers failing or neglecting to make any of the above mentioned said payments and the decision of the Government as to such failure or neglect on the part of Importers and as to the amount payable to the Government by us hereunder shall be final and binding on us.

3. We, _____ agree and undertake not to release shipping documents to the Importers until after the rupee equivalent as aforesaid and the other dues, if any, as demanded by Government are deposited to the credit of the Government.

4. We, _____ agree and undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

5. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our Bank.

6. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the Import licence detailed above or to extend the time for payment by the importers from time to time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercised by the Government of the liberty with reference to the amount of aforesaid or any reason of any such variation or extension of time being given to the Importers of any forbearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision have the effect of so releasing us _____ Bank from our such liability.

Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. _____ (plus interest and service charges as aforesaid) and it will remain in force till

the _____ day of _____ (month) _____ 197 . We also undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of CCI&E's Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-1972 read with Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated 21-7-1972 or as notified from time to time. Unless claim under the bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto _____ all Government's rights under this bond/guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Yours faithfully,

Place _____

Signature of the Authorised

Dated _____

Officer of the Bank and Bank's full address."

(The Bank Guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Indian Stamp Act, 1899).

*Strike out which is not applicable.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments are expected to be finalised.

ANNEXURE V

UNITED KINGDOM/INDIA MIXED PROJECT GRANT, 1975

Payment Certificate

I hereby certify that--

- (i) The payments referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate have been made or fall due and are due to be made in respect of Contract No. _____ date _____ between the contractor named below and _____ (purchaser) _____ and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on _____.

Contractor's Invoice No.	Date	Amount £	Short description of goods, works and/or services
-----------------------------	------	-------------	--

- (ii) the amounts specified in paragraph I, do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 5, 6, or 7 of the contract certificate.
- (iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the contractor named below.

Signed _____
 Position held _____
 For and on behalf of _____
 Name & Address of Contractor _____
 Date _____

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE VI

Form of Application for release of Bank Guarantee

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
 Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,
 UCO Bank Building, Parliament Street,
 New Delhi.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposit made by us in discharge of our obligations under Bank Guarantee No. _____ dated _____ for an amount of Rs. _____ with the request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer/licensee on whose behalf the bank guarantee was furnished.

2. The import Licence No., _____ date, _____ value and brief description of the commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) for opening Letters of Credit obtained from the Ministry of Finance—

- (a) Letter No. and Date.
- (b) Amount of authorisation.
- (c) U.K. Grant No.

4. Particulars of Imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit Authorisation)—

- (a) Particulars of Letters of Credit opened (No., date, value and the supplier's name).
- (b) Invoice No. and date relative to each Letter of Credit.
- (c) Amount of invoice (net in sterling).
- (d) Amount of rupee deposit.
- (e) Relative Challan No. and date and the name of Treasury/Bank.
- (f) If by demand draft, No. and date of the demand draft and the No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (sterling) in each Letter of Credit Authorisation.

II. We certify that:

- (1) *That balance amount of £—————available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

or

No letter of credit was opened under the authorisation(s) lapsed.

or

The letter of credit was opened against the authorisation letter(s) expired unutilised; and

- (2) Our obligations under the bank guarantee in question have been duly discharged.

III. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent for and on behalf
of the bank.

*Whichever is applicable.

ANNEXURE VII

Form of utilisation report in respect of U.K./India Mixed Project Grant, 1975

Utilisation report for the period of 1st April to 30th June

1st July to 30th September

1st October to 31st December

1st January to 31st March

The portion not applicable will be deleted. The report will be rendered and availability at the end of the quarter by the 15 of the month following the quarter.

(to be furnished separately in respect of each licence)

1. Name of the Importing Firm.
2. Particulars of U. K. Credit.
3. No. and Date of the Import Licence

No. and Date Contract & the name of the sup- plier	Value in £	No. and date of L/A is- sued by CAA or of transmis- sion to CAO for ap- proval of ODA.
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. Value of the import licence. (Both in rupees and Sterling).

5. Value of the complete contracting documents forwarded so far to the Ministry of Finance (Please give details of Contract Nos. and Value issued by Controller of Aid Accounts).

(i)
(ii)
(iii)
Total

6. Payments made to the U. K. Suppliers (up-to-date)

Name of suppliers	Total amount paid in sterling.
_____	_____

7. Payments yet to be made in respect of the contracts already approved. The year and the quarters in which the payments are likely to be made may be indicated. ■

(i)
(ii)
(iii)
Total

-do-

8. Value of further orders intended to be placed ■ on U. K. suppliers.

9. Surrenders, if any.

(MISS) ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय**सार्वजनिक सूचना****आयात व्यापार नियंत्रण**

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1975

विषय—यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1975 के अन्तर्गत यू० के० से आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें।

सं० 132—आई० टी० सी० (पी०एन०)/75.—यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1975 के अन्तर्गत आयात लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में लागू होने वाले जो नियम तथा शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

परिशिष्ट

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1975 के अन्तर्गत आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें।

I. सामान्य शर्तें:

1. **शीर्षक एवं कोड.**—आयात लाइसेंस का शीर्षक 'यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान 1975' होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आयात लाइसेंस पर कोड 'एस/के के' भी होंगे।

2. **आयात लाइसेंस के व्यौरों की सूचना.**—आयात लाइसेंस की पावती के 15 दिनों के भीतर ही आयातक को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस की फोटो प्रति के साथ आयात लाइसेंस की व्यौरों अर्थात् उसकी पूरी संख्या एवं दिनांक, उसका मूल्य एवं उसके शीर्षक की सूचना आर्थिक कार्य विभाग (अनुभाग अधिकारी डब्ल्यू ई-2 अनुभाग) को भेजे। आयात लाइसेंस की फोटो प्रति के साथ सूचना की एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक (सी० ए० ए० एवं ए), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग नई दिल्ली को भी प्रेषित की जानी चाहिए।

3. **आयात लाइसेंस की वैधता.**—आयात लाइसेंस 24 (चौबीस) मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा। यह अवधि श्रीर आगे बढ़ाई जा सकती है यदि इसके लिए पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत किया जाता है।

4. (क) **प्रेषण.**—आयात लाइसेंस के मटे किसी भी विदेशी मुद्रा के प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। लेकिन य० के० बैंक प्रभार सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से प्रेषण किए जा सकते हैं।

4 (ख) **भारतीय अभिकर्ता का कमीशन.**—भारतीय अभिकर्ता सम्बन्धी कोई भी भुगतान भारत स्थित अभिकर्ताओं को भारतीय रुपये में ही किया जाना चाहिए। लेकिन, इस प्रकार के भुगतान, लाइसेंस के मूल्य के अंश होंगे और ये इसलिए, लाइसेंस के लिए लिये जाएंगे।

5. (क) **आवेश देने की अवधि.**—पक्के आदेश लागत बीमा-भाडा या लागत भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के चार (4) मास की अवधि के भीतर अवश्य दे दिए जाने चाहिए।

5. (ख) यदि आदेश वैध कारणों से चार महीने के भीतर नहीं दिए जा सकते हैं तो लाइसेंस को लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के पास पांचवे महीने के दौरान जमा कर देना चाहिए और इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देरी क्यों हुई और यह भी संकेत कर देना चाहिए कि अगला

आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि वृद्धि आवश्यक हो, इसे भी तत्ता देना चाहिए। इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर पात्रता के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 2 महीने की और अवधि वृद्धि की स्वीकृति दे सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 6 मास से अधिक का मंगी जाती है तो इस प्रकार के प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 शाखा), वित्त मन्त्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे।

5. (ग) इसे ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आदेश देने का कार्य 4 महीने की अवधि या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई स्वीकृति अवधि तैयारी भी मामला हो के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तब तक विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी साख पत्र की स्थापना करने या समतुल्य रूप का जमा करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। (नीचे का खण्ड 4 देखें)।

6. भुगतान.—आयात लाइसेंस की अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर सभी भुगतान पूरे कर दिए जाने चाहिए। अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोतलदान पर ही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की साख सुविधा की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

II. आदेशों संविदाओं या अन्यथा रूप से सम्मिलित की जाने वाली विशेष बातों का ध्यान रखना :

7. माल का उद्गम. जब आदेश/संविदा दी जा रही हो जो कि केवल य० के० (जिमकी अभिव्यक्ति में नेनल ग्राइलेड एवं ग्राइल आफ मैन शामिल है) संभरकों को दी जानी चाहिए। लाइसेंसधारी को उसी में दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया य० के० में उत्पादित अथवा निर्मित हैं या होंगे या रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों के मामले में अनुसूची-2 (बी) के रूप में संलग्न प्रपत्र पर य० के० मूल के होने की घोषणा कर दी गई है।

(ख) कार्य एवं सेवाएं — जब इस प्रकार के माल खरीदने से सम्बन्धित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उद्यक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि ऐसे कार्य एवं सेवाएं साधारणतया य० के० के निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं अथवा की जाएंगी।

(ग) (1) य० के० वस्तु का मानदंड.—य० के० भारत मिश्रित परियोजना अनुदान के अन्तर्गत आयात लाइसेंस सामान्यतया य० के० में अधिप्राप्त एवं उत्पादित अथवा निर्मित सामान एवं/अथवा माल के लिए है, वैध होंगे।

(ग) (2) भारतीय आयातक को उसके अपने हित के लिए भलाभांति परामर्श दिया जाएगा कि वह य० के० संभरकों से पहले से ही इस बात का पता लगा ले कि क्या प्रस्तावित आयातों में गैर-य० के० वस्तु है और यदि है तो उसकी प्रतिशतता क्या है। विशेष रूप से इस बात का पता लगाए बिना उसको किसी भी स्थिति में य० के० संभरकों के साथ पक्के बायदे अथवा संविदा नहीं करनी चाहिए।

(ग) (3) जब इस प्रकार की पूछताछ करने पर यह पता लग जाता है कि आयात किए जाने वाले प्रस्तावित माल में गैर-य० के० वस्तु हैं तो ऐसे मामले को इस बात का पुष्टि करण करने के लिए वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-2 अनुभाग, नई दिल्ली को अवगत कराना चाहिए कि क्या आयातक को भली य० के० संभरक के साथ आदेश/संविदा के पूर्ण होने के बाद आगे कार्रवाई करनी चाहिए। विशेष मामलों में य० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान के अन्तर्गत वित्तदान के लिए जहाज पर निःशुल्क

मूल्य के 20 प्रतिशत सीमा तक के गैर यू० के० वस्तु को स्वीकार किया जा सकता है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

(घ) संविदा में इस संबंध में एक वाक्यांश अलग से यह जोड़ दिया जाना चाहिए कि संविदा इसके अधीन है और यह केवल यू० के० सरकार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी।

(ङ) प्रलेखन एवं भुगतान क्रियाविधि.—नीचे के खंड 3 एवं 5 में बतवाई गई आवश्यकताओं और नीचे के खंड 4 में निर्धारित की गई भुगतान प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें संविदा में उचित रूप से शामिल कर देना चाहिए।

III. संविदा स्वीकृति :

8. संविदाओं की सूचना तथा तत्सम्बन्धी संशोधन.—(क) यू० के० संभरकों को आदेश देने के तुरन्त बाद ही आयातकों को चाहिए कि वे संविदा को प्रतियां प्रशासकीय मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत करें। भारत सरकार द्वारा संविदा अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर ही लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह विदेशी संभरकों को दिए गए प्रत्येक आदेश के संबंध में संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की चार प्रतियों (संलग्न अनुबंध-1 के रूप में) को यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण पत्र की पांच प्रतियों (संलग्न अनुबंध-2 अथवा अनुबंध-2 (बी) के रूप में जो भी उपयुक्त हो) के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रण यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें।

टिप्पणी:—चूंकि कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविदा यू० के० सरकार से विधिवत् अनुमोदित नहीं कराली जाती है, इसलिए लाइसेंसधारी को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि संविदा/संविदा अधिसूचना की प्रतियां संभरक के संविदा-प्रमाण-पत्र के साथ शीघ्रातिशीघ्र ऊपर बताए गए के अनुसार वित्त मंत्रालय (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक) को भेज दी जाती है।

9. संविदा अनुमोदन :—वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रपत्रों को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि वस्तुओं में आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक तथा यू० के० अनुदान का नाम भलीभांति लिख दिया गया है।

(ख) सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, मुख्य लेखाधिकारी, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग (सी ए ओ लंदन) के माध्यम से यू० के० अनुदान के अन्तर्गत वित्त युक्त की जाने वाली संविदा के अन्तर्गत भुगतान के संबंध में यू० के० सरकार का अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रलेखों के एक सैट को फाइल करने के लिए व्यवस्था करेगा। यू० के० सरकार द्वारा निर्णय को जान लेने के यथाशीघ्र बाद ही यू० के० संभरकों और साथ ही साथ लाइसेंसधारी को उपर्युक्त निर्णय के संबंध में मुख्य लेखाधिकारी लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वित्त मंत्रालय को परामर्श देते हुए सीधे ही अवगत कराया जाएगा।

10. **संविदा के लिए संशोधन.**—यदि किसी संविदा (उस संविदा के संबंध में जिसमें यू० के० सरकार की स्वीकृति प्राप्त करली गई है या प्राप्त करनी है) में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण पत्र में उल्लिखित धनराशि से अधिक धनराशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करे और इसके बाद शीघ्रातिशीघ्र तत्संबंधी अनुपूरक श्रवण संशोधित दस्तावेजों और संविदा के लिए संशोधनों तथा संशोधित संविदा-प्रमाण पत्रों की प्रतियों को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेजे ताकि वे इसकी सूचना यू० के० सरकार को देने और उनका अनुमोदन प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। संविदा/आदेश में संशोधन के लिए यू० के० सरकार से जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होता है, तो लाइसेंसधारी और वित्त मन्त्रालय को सी ए ओ लंदन द्वारा ठीक उसी विधि से जैसे मूल संविदा के लिए है, सूचित कर दिया जाएगा।

11. **जब संविदा भारतीय अधिकर्ता के साथ होती है .**—यदि विदेशी सभरक के भारतीय अधिकर्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू० के० सभरक के नाम का संकेत इसमें होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टैलिग ग्रंथ के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल यू० के० अनुदान के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा। ऊपर निर्धारित किए गये के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियों जो यू० के० सभरकों के साथ भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा की गई हैं, यदि इस प्रकार की पृथक् संविदाएं हों) भेज दिया जाना चाहिए।

IV. यू० के० सभरकों के लिए भुगतान—साख पत्र प्रक्रिया :

12. **विशेष भुगतान प्रक्रिया.**—सामान्य रूप से लागू होने वाली भुगतान प्रक्रिया नीचे निर्धारित है। विशेष मामलों में एक भिन्न भुगतान प्रक्रिया वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की जा सकती है और उस स्थिति में आयात लाइसेंस उस विशेष प्रक्रिया के अधीन जारी किए जाएंगे।

13. **प्राधिकारपत्र के लिए आवेदनपत्र .**—सी० ए० ओ० लंदन से संविदा अनुमोदन के संबंध में सूचना की प्राप्ति के बाद (देखिए उपर्युक्त खंड-3) लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह यू० के० सभरकों के नाम में यू० के० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में साख पत्र खोलने के लिए विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले किसी भी एक प्राधिकृत बैंक के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को आवेदन करे। प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन पत्र अनुबंध-3 में दिए गए के अनुसार होना चाहिए और उसके साथ भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्राप्त बैंक गारण्टी (अनुबंध 4 में दिए गए के अनुसार) भी संलग्न की जानी चाहिए। प्राधिकरण पत्र के लिए प्रथम आवेदन पत्र के साथ आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति भेजी जानी चाहिए।

14. (क) **बैंक गारंटी .**—बैंक गारण्टी की धनराशि प्रस्तावित प्राधिकार पत्र में स्टैलिग मूल्य के समतुल्य रूप से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) **समतुल्य रुपये** के लिए लागू की जानेवाली मुद्रा विनिमय की दर की गणना समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं तथा विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारियों के लिए समय-समय पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा

जारी किए गए मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्र में यथा अधिसूचित की गई मिश्रित दर के हिसाब से की जाएगी।

टिप्पणी :—सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं से बैंक गारण्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा (जिसमें इसके सहायक भी शामिल है) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसी भी शाखा के माध्यम से साख पत्र खोले जाएंगे।

15. प्राधिकरण पत्र.—अगर आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य-विभाग, नई दिल्ली सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को अन्य बातों के साथ साथ यू० के० सरकार के सविदा अनुमोदन संख्या को शामिल करते हुए अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण जारी करेगा और इस की एक प्रति आयातक को और अनुभाग अधिकारी डब्ल्यू ई-2, को भेजेगा। वित्त मंत्रालय सम्बद्ध यू० के० बैंक तथा मुख्य लेखा अधिकारी, लंदन को भी उपयुक्त रूप से परामर्श देगा। लेकिन, यू० के० बैंक के लिए परामर्श, उन के प्राधिकरण पत्र की प्रति के साथ भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को भेज दिया जाएगा और उन्हें चाहिए कि वे साख-पत्र खोलते समय इसे यू० के० बैंक को प्रेषित करें।

16. (क) प्राधिकरण पत्र की वैधता.—प्राधिकरण पत्र जारी होने की तिथि से एक मास की अवधि के लिए वध होगा। इसलिए प्राधिकरण जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर ही वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए साख-पत्र खोल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण समाप्त हो जाएगा।

(ख) साख-पत्र.—साख-पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिस के लिए लाटसेंस दिया गया है नीचे के खंड 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के बाद सभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, भुगतान के बाद दस्तावेजों के प्रेषण करने से संबंधित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए तथा इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि लाभ प्राप्त कर्ताओं द्वारा प्रारम्भिक रूप में अपनी निधि में से भुगतान करने के पश्चात यू० के० में संबद्ध बैंक उम की प्रतिपूर्ति मुख्य लेखा अधिकारी, सी० ए० ओ०, लंदन के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंदन से प्राप्त करेगा। साख-पत्र खोलने से संबंधित, भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक के अनुदेश अवश्य ही वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्णतया अनुरूप होने चाहिए। किसी भी हालत में इसमें असंगति नहीं होनी चाहिए।

(ग) साख पत्र में स्पष्ट रूप से यू० के० अनुदान शीर्षक तथा यू० के० सरकार के साथ की गई सविदा अनुमोदन संख्या चिन्हित होनी चाहिए।

(घ) भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक की जिम्मेदारी.—यह सुनिश्चित करने के लिए कि यू० के० सभरकों द्वारा नीचे धारा 17 में दिए गए दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं नोट कर ली गई हैं और उन का अनुपालन किया गया है, भारत में प्राधिकृत मुद्रा विनिमय बैंक, साख-पत्र खोलते समय, आयातक का और से साख-पत्र में आवश्यक शर्तें समाविष्ट करने का ध्यान रखेगा।

V. प्रलेखन :

17. प्रलेख.—यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू० के० सभरक यू० के० बैंक को नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है —

- (1) चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक [बीजक में आयातक का नाम और पता, सभारित की गई प्रत्येक मद्र की मात्रा

और विम्बुन विवरण, सभी व्यापार छूटों को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिये विम्बुन कीमत वितरण के आधार (जहाज पर निःशुल्क, लागत तथा भाड़ा, लागत बीमा भाड़ा तथा जहाज तक निःशुल्क) को प्रदर्शित करना चाहिए, और किसी प्रकार की आनुवंशिक सेवाएँ जिनमें वितरण या समुद्री या परिवहन बीमा सेवाएँ शामिल हैं उस की स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए ।

(2) महासागर या चार्टर-पार्टी लदान-पत्र या वायुमार्ग बिल या डाक पारसल की रसीद की एक प्रति (या फोटोस्टेट) । (लदान-पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो) ।

(3) अनुबन्ध 5 में दिए गए के अनुसार भुगतान प्रमाण-पत्र की चार प्रतियाँ [ऐसी संविदाओं के सम्बन्ध में इन की आवश्यकता नहीं जिन्हें लिए अनुबंध-2 (बी) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक) की पूर्ति की गई है] इस कार्य के लिए सभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय भरने के लिए निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख-पत्र के साथ संलग्न करने चाहिए ।

प्रत्येक दस्तावेज में अनुदान शीर्षक, आयात-लाईसेंस का विम्बुन न्यूरा और यदि संभव हो, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख-पत्र प्राधिकरण के विवरण का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए ।

18. दस्तावेज भेजना. —यू० के० संभरकों को भुगतान हो जाने के बाद यू० के० में व्यवसायी बैंक दस्तावेजों के मूल विनिमय सेट को तीस हवाई डाक द्वारा सम्बद्ध भारतीय बैंक को भेजेगा ।

19. यू० के० बैंक प्रभार. —भारतीय बैंक यू० के० सरकार को बैंक प्रभार प्रेषित करेगा और उस की अदायगी आयातक से करेगा ।

20. यू० के० बैंक को प्रतिपूर्ति. —इस के साथ ही साथ, यू० के० बैंक मुख्य लेखा अधिकारी, लंदन से अपने द्वारा संभरकों को चुकाई गई धनराशि की प्रतिपूर्ति का दावा करेगा और इस उद्देश्य के लिए संभरकों के प्राप्त बीजकों को तथा जहाँ आवश्यक हो, अनुबंध 5 के अनुसार भुगतान प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करेगा । मुख्य लेखा अधिकारी, लंदन, भारतीय स्टेट बैंक, लंदन के माध्यम से यू० के० बैंक को भुगतानों की व्यवस्था करेगा ।

VI.—रुपया निक्षेप के लिए भारतीय बैंक के उत्तरदायित्व :

21. आयातक से धन वापसी. —यू० के० सम्बद्ध बैंक से जहाज लदान प्रलेखों के साथ भुगतान के परामर्श की पावती के 7 दिनों के भीतर भारतीय सम्बद्ध बैंक आयातक से 'मिश्रित विनिमय दर' उपर्युक्त धारा 14(ख) देखें] के हिसाब से आयात की कीमत को रुपये में वसूल करेगा और उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद भी वसूल करेगा जो यू० के० बैंक द्वारा यू० के० संभरकों के दिए गए भुगतान की तारीख से ले कर निक्षेप किए गए समतुल्य रुपये की तारीख तक के लिए होगा ।

22. समतुल्य रुपए का निक्षेप. —उपर उल्लिखित धनराशि भारतीय बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली में भारतीय सरकार के साथ में निक्षेप किया जाना चाहिए या यदि यह संभव नहीं हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में उन के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण किया जाना चाहिए । रुपया निक्षेप वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 74 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 में यथा परिणोदित राज-

कोष चालान प्रपत्र में किया जाना चाहिए। इस के बाद बोजक/पोतलदान प्रलेखों तथा उस विभाग का वह प्राधिकरण जो सौदे से संबंधित है, उन के संदर्भों का उल्लेख कर तथा उन के प्रतियां संलग्न कर निक्षेप करने का साक्ष्यंकन करते हुए राजकोष चालान रजिस्ट्री डाक द्वारा सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, नई दिल्ली को भेज दिया जाना चाहिए :

भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने पर भारतीय सम्बद्ध बैंक सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त खर्चों को ऐसी राशि को भी मांग करने के सात दिनों के भीतर जमा करने की व्यवस्था उसी तरीके से करेगा।

लाइसेंसधारी को यह भी चाहिए कि भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 184-आई टी सी (पी एन) /68 दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुबन्ध-2 में शामिल किए गए 'एस' प्रपत्र की दो प्रतियों को भरे और उक्त सार्वजनिक सूचना में निहित प्रक्रिया के अनुसार रुपया जमा करने के लिए व्यवस्था करते समय अपने बैंक को प्रस्तुत करें।

23. रुपया जमा करने का लेखा शीर्षक.—सूद प्रभार सहित वह राशि जो भारत सरकार के खाते में जमा की जानी है वह इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करवाई जाएगी.—

"के डिपोजिट्स एंड एडवान्सेज —843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एक्स्ट्रा एन्वाइ-डिपोजिट्स अन्डर यू० के०-भारत मिश्रित परियोजना' अनुदान 1975"।

लेखा अधिकारी.—श्रीर महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को लेखाधिकारी के रूप में दिखाया जाएगा जो इन साखों को समायोजित करेगा।

24. बैंक गारन्टी की रिहाई.—वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई बैंक गारन्टी और साख-प्राधिकरण की शर्तों के अन्तर्गत दायित्वों को पूरा किए जाने के बाद सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक (आयातक नहीं) सहायता लेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा, नई दिल्ली को बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए अनुबन्ध-1 में यथा निर्धारित प्रश्न में आवेदक कर सकता है।

VII. आयात लाइसेंस के योग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट :

25. रिपोर्ट भेजना.—संलग्न अनुबन्ध 7 में दिए गए प्रपत्र के रूप में लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए एक त्रैमासिक रिपोर्ट त्रैमासिक के अनुवर्ती मास की 15 तारीख को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-2 अनुभाग), नई दिल्ली को तथा उस की एक प्रति सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, (आर्थिक कार्य विभाग) यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रट, नई दिल्ली को भेजी जाना चाहिए।

VIII. विविध :

26. यू० के० संभरकों के धन-वापसी—लाइसेंसधारक द्वारा यदि किस प्रकार की धनराशि यू० के० संभरक अथवा गारंटकर्ता (बीमा कम्पनी आदि) से वापसी के रूप में या बीमा-दावे की व्यवस्था के रूप में अथवा अन्यथा रूप से प्राप्त की जाती है तो ऐसी राशि संभरक द्वारा यू० के० में सम्बद्ध बैंक को (जिस के द्वारा प्रारम्भ में संभरक को भुगतान किया गया था) इन अनुदेशों के साथ वापस की जानी चाहिए कि वे ऐसी राशि को शीघ्र ही मुख्य लेखा अधिकारी, लंदन को अनुदान लेख में साथ के बदले वापस करें। इस प्रकार अनुदान लेख में जमा करने के पश्चात्, आयातक को रुपये में समतुल्य राशि वापस करने की व्यवस्था, आयातक द्वारा दावे की रसीद प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यदि अनुदान के समाप्त होने के पश्चात् कोई वापसी प्राप्त होती है तो उसे संभरक द्वारा आयातक को सीधे ही भेदा कर दिया जाएगा।

▲ 27. धन-वापसी की रिपोर्ट करना.—जब कभी इस प्रकार की वापसी प्राप्त होती है, तो उस की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भी भेजी जानी चाहिए और उस की एक प्रति औद्योगिक विकास मंत्रालय, विदेशी मुद्रा अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए ।

28. संभरक को विशेष शर्तें, व्यवस्थाएं अधिसूचित करना.—यदि आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष व्यवस्थाएं हों जो कि संभरक पर सौदों का पालन करने में प्रभाव डाले, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि संभरक (कों) इन से अवगत कराएं ।

29. विवाद.—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच विवाद उठेगा तो भारत सरकार किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी ।

30. भविष्य के लिए अनुदेश.—आयात लाइसेंस या इस से संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा अनुदान करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करेगा ।

31. उल्लंघन या अतिक्रमण:—उपयुक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

IX. अनुबंधों की सूची :—

- | | |
|-----------------|---|
| 1. अनुबंध—1 | संविदा की अधिसूचना |
| 2. अनुबंध—2 | संविदा प्रमाण-पत्र |
| 3. अनुबंध—2(बी) | संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक) |
| 4. अनुबंध—3 | साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप |
| 5. अनुबंध—4 | बैंक गारन्टी का प्रारूप |
| 6. अनुबंध—5 | भुगतान प्रमाण-पत्र |
| 7. अनुबंध—6 | बैंक गारन्टी की रिहाई से संबंधित आवेदन-पत्र का प्रारूप |
| 8. अनुबंध—7 | आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उस का उपयोग किए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रपत्र |

अनुबंध—1

संविदा की अधिसूचना

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1975

सेवा में,

विदेशी सरकारों और प्रशासनों के लिए क्राउन एजेंट्स

4, मिलबैंक,

लन्दन एस डब्ल्यू-1

परियोजना —————

संविदा की अधिसूचना —————

जिम संविदा के अधीन यह प्रस्तावित किया गया है कि उपयुक्त अनुदान की शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाएंगे उस के ब्यौरे निम्नलिखित है :—

1. यू० के० संविदाकर्ता का नाम और पता
2. संविदा की तिथि
3. भारतीय क्रेता का नाम
4. माल का संक्षिप्त विवरण और/या कार्य अथवा सेवाएं
5. संविदा का मूल्य
6. भुगतान की शर्तें

पोंड-----

भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षरित

दिनांक-----

अनुबन्ध—2

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1975

संविदा प्रमाण पत्र

संविदा के ब्यौरे

1. संविदा की तिथि-----2. संविदा सं०-----
3. उन माल या सेवाओं का विवरण जिन की आपूर्ति क्रेताओं को की जानी है-----

यदि कई मदों की आपूर्ति की जानी है तो एक विस्तृत सूची इस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।

4. क्रेता द्वारा चुकाया जाने वाला कुल संविदा मूल्य (लागत बीमा-भाड़ा, लागत-भाड़ा, या जहाज पर्यन्त नि शुल्क का उल्लेख करे) पोंड-----

यदि माल की आपूर्ति की जानी है तो निम्नलिखित खंड अवश्य पूरे किए जाने हैं :—

(यदि संविदाकर्ता केवल निर्माण करने वाला अभिकर्ता है तो अपेक्षित सूचना निर्माणकर्ता से प्राप्त करनी चाहिए) ।

5. क्रेता की संलग्न किए जाने
वाले माल का विवरण

मूल्य पोंड

यू० के० सीमा शुल्क/व्यापार संकेत
संख्या

6. जो माल मूल रूप से यू० के० का नहीं है परन्तु संविदाकर्ता द्वारा विदेश से सीधे खरीदा गया है, उस के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत अर्थात् विनिर्माण के लिए उपयोग की गई आयातित कच्ची सामग्री या संघटकों का प्रतिशत

(क) प्रतिशत जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य-----

(ख) मद का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण-----

7. विदेश से उद्धृत किसी कच्ची सामग्री या संघटक जैसे तांबा, एस्बेस्टोज, कपास, लकड़ी, लुगदी आदि का उपयोग किया गया, परन्तु ये संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा के लिए यू० के० में खरीदी गई है तो उन का उल्लेख कीजिए :—

(क) प्रतिशत जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य-----

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण-----

यदि सेवाओं की आपूर्ति की जानी है तो निम्नलिखित खण्ड को भी पूर्ण किया जाना चाहिए ।

8. निम्नलिखित द्वारा कृता के देश में किसी किए जाने वाले कार्य या सेवा के अनुमानित मूल्य का उल्लेख कीजिए :—

(क) आपको फर्म (साइट इंजीनियर के खर्च आदि)-----

(ख) स्थानीय संविदा कर्ता -----

9. उपर्युक्त पैरा 6, 7 या 8 के सम्बन्ध में यथा आवश्यक अहर्ता प्राप्त करने वाली अभ्युक्तियाँ-----

10. मैं एतद्द्वारा घोषणा करना हूँ कि मैं निम्नलिखित नाम वाले संविदाकर्ता द्वारा यू० के० में नियोजित हूँ और इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे प्राधिकार प्राप्त है । मैं एतद्द्वारा वचन लेता हूँ कि जो माल या सेवाएं मूल रूप से यू० के० का नहीं है उनकी आपूर्ति उपर्युक्त पैरा 6, 7, 8 और 9 में निर्दिष्ट माल या सेवाओं को छोड़कर संविदाकर्ता द्वारा इस संविदा का निष्पादन करने में नहीं की जाएगी ।

हस्ताक्षरित-----

ओहदा-----

संविदाकर्ता का नाम और पता-----

दिनांक-----

टिप्पणी :—इस घोषणा के लिए दि चैपल आइलैंड और आइल आफ मैन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है ।

संविदाकर्ताओं को यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि जब तक स्वीकृति अधिसूचित न कर दी जाए तब तक माल का विनिर्माण नहीं होना चाहिए ।

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

भुगतान

परियोजना का नाम या संख्या : ————— पी० ए० संख्या

वचनबद्ध	प्रविष्टि की	स्वीकृति	तिथि	धनराशि	आद्याक्षर
धनराशि	तिथि	तिथि	आद्याक्षर		
पौंड					

अनुबन्ध-2(बी)

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुवाम, 1975

केवल रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए संविदा प्रमाण-पत्र

1. संविदा की तिथि संविदा संख्या
लाइसेंस संख्या दिनांक

2. खरीददार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद(दों) का विवरण (टिप्पणी ए)	पौंड की कोमत	यू० के० दर-सूची वर्गीकरण सं० (टिप्पणी बी)	क्या उत्पाद यू० के० मूल का है ? (टिप्पणी सी देखिए) हां या नहीं लिखिए
--	--------------	---	---

.....			
.....			
.....			
.....			

3. खरीददार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल/अनुमानित/संविदा कीमत स्टलिंग पौंड में

4. (घोषणा) में एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और वैध प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और यह कि उपर्युक्त सूचना सही है।

हस्ताक्षरित

पद जिस पर है

दिनांक

संविदाकर्ता का नाम

और पता

टिप्पणियां

- ए. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रासायन तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए किया जाना है जिन्हें यू० के० दर-सूची के अध्याय 15, 25, 26-35 तथा 37-40 के उपर्युक्त उप-शीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है।

बी. देखिए :—

(1) एच० एम० कस्टम तथा एक्साईज टैरिफ एच० एम० एस० ओ० ।

(2) असेलस नामावली एच० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण ।

सी. (1) या तो पूर्ण रूपेण यू० के० देशी सामग्री से तयार किया गया उत्पाद या पूर्ण रूपेण या अंश में आयातित सामग्री उपयोग करके उपयुक्त ई एफ टी ए अर्हकारी संसाधन-क्रिया के अनुसार तैयार किया गया उत्पाद यू० के०-मूल का समझा जाएगा ।

(2) ई एफ टी ए संसाधन क्रिया “निर्यातकों के उपयोग के लिए ई एफ टी ए सारसंग्रह” एच० एम० एस० ओ० की अनुसूची—1 में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिये इस पर बल दिया जाता है कि “विकल्पी प्रतिशत मापदण्ड” लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त अनुसूची में जहां कहीं शब्द “क्षेत्र मूल” आते हैं उनका तात्पर्य केवल यू० के० मूल समझना चाहिए ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए “मूल माल की अनुसूची” (ए एफ टी ए सार संग्रह की अनुसूची—3) लागू नहीं होती है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के अर्हकारी संसाधन क्रिया सूचीबद्ध नहीं है तो समुद्री पार सरकारों एवं व्यवस्थाओं के लिए क्राउन एजेंट, 4 मिलबैंक, लन्दन एस डब्ल्यू आई से सलाह लेनी चाहिए ।

डी इस घोषणा के लिए यू० के० में चनज आई लैंड तथा आईल आफ मैन शामिल है ।

अनुबन्ध—3**साखपत्र प्राधिकरण के लिए आবেदन पत्र का प्रपत्र**

सेवा में,

नियन्त्रक, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा, अर्थकार्य सहायता लेखा अनुभाग,
वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

विषय : यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1975 के अधीन
यू० के० से का आयात ।

उपर्युक्त यू० के० अनुदान के मद्दे यू० के० से का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं जिससे आप हमारे बैंकरो के माध्यम से आप द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में साखपत्र खोलने के लिए हमें प्राधिकरण जारी कर सके :—

(क) आयात लाइसेंस का विवरण :—

संख्या और तारीख मूल्य (रुपयों में) तिथि जिस तक वह वैध है

(ख) लाइसेंस का स्टॉलिंग में मूल्य :—

लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा गणना की गई आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट की गई मुद्रा विनिमय की दर पर ।

- (ग) उन पहले ही दे दिए गए आदेशों का प्रगामी स्टलिंग मूल्य जिनके लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किए गए हैं (प्राधिकार पत्र की संख्याओं और स्टलिंग धनराशि का विवरण पत्र संलग्न किया जाना है) ।
- (घ) यू० के० संभरक/संभरकों का नाम/और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टलिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धनराशि/राशियां (दिए गए आदेश और उसके लिए यू० के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जाती है) ।
- (ङ) सम्बद्ध यू० के० बैंक का नाम जिसमें साखपत्र स्थापित किया जाना है ।
- (च) उस भारतीय बैंक का नाम जिसने बैंक गारण्टी दी और जो साखपत्र खोलेगा/स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 31 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार कलक्टर द्वारा विधिवत् निर्णीत बैंक गारण्टी जो द्वारा प्रस्तुत की गई है, संलग्न है ।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर और पूरा पता)

अनुबन्ध—4

बैंक गारंटी का प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

द्वारा सचिव, भारत सरकार,

वित्त मन्त्रालय, अर्थ कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

भारत के राष्ट्रपति के हेतु जिसमें आगे “सरकार” कहा गया है निम्नलिखित द्वारा आयात किए जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए :—

- (1) फर्म का नाम
- (2) तथा किस्म जिसके अधीन
- (3) व्यक्ति/भागीदार काम कर रहा है
(नाम और पते)

*सर्वश्री एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय राज्य में है जिन्हें आगे रुपये के लिए प्रदान किए गए आयात लाइसेंस संख्या दिनांक के अन्तर्गत “आयातक” कहा गया है, हम एतद्द्वारा गारण्टी देते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में सरकार के खाते में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा दिल्ली के नाम दर्शनी हुंडी जो उक्त तीस हजारी शाखा को (केन्द्रीय सरकार के लेख में क्रेडिट के लिए) अग्रसारित की जाती है, के द्वारा निम्नलिखित धनराशि जमा करने की व्यवस्था करेंगे:—

- (1) वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए साखपत्र प्राधिकरण के अधीन यू० के० बैंकों द्वारा स्टलिंग में किए गए भुगतानों को प्रदर्शित करते हुए बीजक के मूल्य के बराबर रुपये के भुगतान की सूचना और लदान दस्तावेजों की यू० के० बैंकों से प्राप्ति के सात दिनों के भीतर मुख्य नियन्त्रक, आयात-

निर्यात द्वारा निर्धारित की गई मुद्रा विनियम की मिश्रित दर पर धनराशि / यह मिश्रित दर, जब तक दूसरी दर सार्वजनिक सूचना के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम के प्राधिकृत व्यापारियों को मुद्रा विनियम नियन्त्रण परिपत्रों द्वारा अधिमूर्चित नहीं कर दी जाती पौंड 1=19.06 रुपये में देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या : 108—आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 21 जुलाई, 1972 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या : 15—आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28-1-72 और उक्त धनराशि पर यू० के० संभरकों को भुगतान करने की तिथि से समतुल्य रुपया भुगतान करने की तिथि तक के समय पर 6 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज और बैंक प्रभार (दोनों तिथियां शामिल हैं) ।

(2) ऐसी अतिरिक्त धनराशि जो कि सेवा प्रभार के लिए देय होने पर सरकार द्वारा मांगी जा सकती है, मांगी जाने के 7 दिनों के भीतर ।

2. आयातकों द्वारा उपर्युक्त भुगतान करने में असफल रहने पर या लापरवाही करने की स्थिति में हम.....सरकार को उसके द्वारा मांग करने पर ऐसी धनराशि जो.....रुपये से अधिक न हो (और उस पर उपर्युक्तानुसार ब्याज तथा सेवा प्रभार हो) बिना किसी आपत्ति के चुकाने का वचन लेते हैं और आयातकों की ओर से ऐसी असफलता का या लापरवाही के सम्बन्ध में और हमारे द्वारा सरकार को देय धनराशि के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय हमारे लिए अन्तिम और अनिवार्य होगा ।

3. हम,.....सहमत हैं और वचन लेते हैं कि जब तक यथा पूर्वोक्त तुल्य रुपया या कोई अन्य देय धनराशि जो सरकार द्वारा मांगी जाए, सरकार के खाते में जमा नहीं कर दी जाती तब तक आयातकों को पोत परिवहन दस्तावेज रिहा नहीं किए जाएंगे ।

4. हम,.....सहमत हैं और वचन देते हैं कि इस गारण्टी को इसके लागू होने के दौरान सरकार को लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे ।

5. इसमें निहित गारंटी, आयातकों अथवा हमारी सस्था के संविधान में होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी ।

6. सरकार को इस गारण्टी को प्रभावित किए बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट आयात लाइसेंस की शर्तों में कोई परिवर्तन करने या समय समय पर आयातकों द्वारा भुगतान करने की अवधि में वृद्धि करने या इसके द्वारा किसी समय तथा समय समय पर आयातकों के प्रति प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी और इन गारण्टी में पूर्वोक्त धनराशि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई भी अधिकार प्रयोग करने की स्वतन्त्रता के कारण अथवा आयातकों को दिए जाने वाले समय में परिवर्तन या वृद्धि के कारण अथवा सरकार की ओर से किसी प्रतिबन्ध अधिनियम या छूट अथवा सरकार द्वारा आयातकों पर किसी प्रकार की क्षमा अथवा कोई भी मामला या वस्तु जोकि कानून के अनुसार प्रतिभूतियों से सम्बन्धित हो इस परन्तुक के लिए, हमारे.....
(बैंक का नाम) दायित्वों पर कोई भी प्रभाव डाले बिना हमें.....
हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा ।

इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व..... रुपये (जमा यथा पूर्वोक्त व्याज तथा सेवा प्रभार) तक प्रतिबन्धित है और यह तिथि** मास..... 197..... तक लागू रहेगा। हम ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का भी वचन लेते हैं जो कि मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना संख्या : 108-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 के साथ पढी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या 15-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28 जनवरी, 1972 की शर्तों के अनुसार या समय समय पर अधिसूचित सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवश्यक हों। इस तिथि से 6 महीनों के भीतर इस बांड/गारंटी के अधीन लिखित रूप में दावे हो जाने के बाद और अगले 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कार्रवाई हो जाने के बाद अर्थात् तक इस गारंटी के अधीन सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और इसमें निहित सभी उत्तरदायित्वों से हमें छुटकारा और मुक्ति मिल जाएगी।

भवदीय,

स्थान

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

और बैंक का पूरा पता।

(बैंक गारंटी एवं न्यायकेतर स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जानी है, स्टाम्प का मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 की शर्तों के अनुसार समाहर्ता द्वारा निर्णीत की जाएगी)।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**जिस तिथि तक सभी भुगतान पूर्ण हो जाने की आशा है उस तिथि में 1 मास जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी।

अनुबन्ध—5

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1975

भुगतान प्रमाण-पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि :—

1. नीचे सूचीबद्ध बीजकों में उल्लिखित भुगतान जो मूल रूप में या प्रतियों के रूप में इस भुगतान प्रमाण-पत्र के साथ है, देय हो गए हैं और संविदा संख्या दिनांक..... के सम्बन्ध में निम्नलिखित नाम के संविदाकर्ता..... और खरीददार..... के बीच घुकाए जाने हैं और ये भुगतान दिनांक..... को उक्त संविदाकर्ता की ओर से..... को हस्ताक्षरित संविदा प्रमाणपत्र में अधिसूचित इस संविदा के व्यौर के अनुसार है:—

संविदा की बीजक सं०	दिनांक	धनराशि	माल, कार्यों/और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण
--------------------	--------	--------	--

2. पैरा 1 में निर्दिष्ट धनराशियों में संविदा प्रमाणपत्र के पैरा 5, 6 या 7 में घोषित धनराशियों की कोई अतिरिक्त विदेशी मात्रा शामिल नहीं है।

3. मुझे निम्नलिखित नाम के संविदाकर्ता की ओर से इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है।

हस्ताक्षरित
 ओहदा
 संविदाकर्ता जिसकी ओर से
 हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, का नाम और
 पता
 दिनांक

विष्पणी:—इस घोषणा के लिए चैनल आइलैण्ड और आइल आफ मैन, यू० के० में शामिल हैं।

अनुबन्ध—6

बैंक गारंटी मुक्त कराने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा,
 वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
 यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली।

महोदय,

हम गारंटी संख्या दिनांक धन राशि रुपये के अधीन अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में हमारी द्वारा जमा किए गए रुपये की विस्तृत जानकारी इस आवेदन के साथ नीचे प्रस्तुत करते हैं कि यह बैंक गारंटी मुक्त की जाए और हमें लौटा दी जाए :—

1. आयातक/लाइसेंसधारी जिस ही ओर से गारंटी प्रस्तुत की गई थी, का नाम और पूरा पता।
2. आयात लाइसेंस संख्या, दिनांक मूल्य और उसके अधीन आयात के लिए अनुमित पण्य वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण।
3. साख पत्र खोलने के लिए वित्त मन्त्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण (णों) के व्यौर:—
 (क) पत्र संख्या और दिनांक।
 (ख) प्राधिकरण की धनराशि।
 (ग) यू० के० अनुदान संख्या।
4. आगतों और जमा किए गए पैसे के व्योरे (प्रत्येक साख पत्र प्राधिकरण के लिए अलग अलग दिए जाने हैं)।
 (क) खोले गए साख पत्र के व्यौर (म०, दिनांक, मूल्य और संभरक का नाम)।
 (ख) प्रत्येक साख पत्र में सम्बन्धित बीजक की संख्या और दिनांक।

- (ग) स्टर्लिंग में बाजक की धनराशि (वास्तविक) ।
- (घ) जमा किए गए रुपये की धनराशि ।
- (ङ) सम्बन्धित चालान संख्या और दिनांक और राजकोष/बैंक का नाम ।
- (च) यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा है, तो डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक और जिस पत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया को भेजा गया था उसकी संख्या और दिनांक ।

5. प्रत्येक साख पत्र प्राधिकरण में उपयोग को गई और उपयोग न की गई शेष धनराशि (स्टर्लिंग) ।

2. हम प्रमाणित करते हैं कि :—

- (1) *वित्त मन्त्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण (णों) में उपलब्ध.....
पौ० की शेष धनराशि उपयोग नहीं की गई है / उपयोग नहीं की जाएगी ।

अथवा

प्राधिकरण (णों) के अधीन कोई साखपत्र नहीं खोला गया था और प्राधिकरण (णों) समाप्त हो गया ।

अथवा

प्राधिकरण (णों) पत्र के आधार पर खोला गया साखपत्र बिना उपयोग किए समाप्त हो गया ।

और

- (2) विषयाधीन गारंटी के अधीन हमारे दायित्व विधिवत् पूरे हो गए हैं ।

3. हम अनुरोध करते हैं कि बैंक गारंटी कृपया मुक्त की जाए और रद्द करने के लिए हमें लौटा दी जाए ।

भवदीय,

बैंक की ओर से प्राधिकृत एजेंट

*जो भी लागू है ।

अनुबन्ध—7

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना अनुदान, 1975 के सम्बन्ध में उपयोग की रिपोर्ट का प्रपत्र

1 अप्रैल से 30 जून तक

1 जुलाई से 30 सितम्बर तक

1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक

1 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के लिए उपयोग रिपोर्ट ।

जो भाग लागू नहीं होगा उसे काट दिया जाएगा । रिपोर्ट तिमाही के अन्त में तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर समर्पित और उपलब्ध कराई जाएगी ।

(प्रत्येक लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग से प्रस्तुत की जानी है)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम

2. यू० के० क्रेडिट के व्यौरे

3. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक :	संविदा की संख्या और दिनांक और सम्भरक का नाम	पौड में मूल्य	सहायता लेखा नियन्त्रक द्वारा जारी किए गए प्राधिकरणपत्र की या ओ डी ए के लिए सी ए ओ को भेजे गए सम्भरण की सं० और दिनांक
--	---	------------------	--

4. लाइसेंस का मूल्य

(रुपये और स्टलिंग दोनों में)

5. वित्त मन्त्रालय को अब तक अप्र-
सारित किए गए पूर्ण संविदा
सम्बन्धी दस्तावेजों का मूल्य (1)
(कृपया संविदा संख्याओं और (2)
सहायता लेखा नियन्त्रक, द्वारा (3)
जारी किए गए प्राधिकरणों की
मूल्य सं० और तिथियों को उल्लेख
कीजिए) ।

कुल

6. यू० के० संभरकों को किए गए संभरकों के नाम स्टलिंग में चुकाई गई कुल धनराशि
भुगतान (अद्यतन)

(1)

(2)

7. पहले ही अनुमोदित कर दी गई (1)
संविदाओं के सम्बन्ध में जो भुग- (2)
तान अभी करने बाकी हैं जिस (3)
वर्ष और तिमाही में भुगतान करने
की सम्भावना है उसे निर्दिष्ट किया
जाए ।

—वही—

8. यू० के० संभरकों की भविष्य में जो
आदेश देने का इरादा है, उनका
मूल्य ।

9. अस्पष्ट, यदि कोई हो ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर

(कुमारी) रोसा मजूमदार,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।

